S.M.M. Law College Saharsa
Lecturer - Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Environmental Law
Paper - VIth

जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-1974

राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने को कतिपय क्षेत्रों तक निर्बन्धित करने की शक्ति :-

सरकार को राज्य बोर्ड के परामर्श के पश्चात् या उसकी सिफारिश पर यह राय है कि इस नियम के उपबन्धों सम्पूर्ण राज्य को लागू होने वाले आवश्यक नहीं है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लागू होने को ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों तक निर्बन्धित कर सकेगी जो उसमें जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण क्षेत्र या क्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाएँ और तब इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को लागू होंगे।

हर एक जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण क्षेत्र या तो किसी मानचित्र के प्रति निर्देश द्वारा या किसी जल क्षेत्र की रेखा या किसी जिले की सीमा के प्रति निर्देश द्वारा अथवा अन्यथा एक पद्धति द्वारा और अन्यथा किसी अन्य के द्वारा घोषित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

(क) किसी जल प्रदूषण निवारण अथवा नियंत्रण क्षेत्र को चाहे उसका विस्तार करके या उसे कम करके परिवर्तित कर सकेगी।

(ख) ऐसा तथा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण क्षेत्र निश्चित कर सकेगी जिसमें एक या अधिक जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उसका कोई भाग सम्मिलित किये जा सकेंगे।

जानकारी अभिप्राप्त की शक्ति :-

(i) राज्य बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त कृत्यों का पालन करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकेगा और ऐसे क्षेत्र में किसी सरिता या कुएँ के प्रवाह या आयतन तथा अन्य विशेषताओं का प्रमापन कर सकेगा तथा ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग में वर्षा के माप एवं उसके अभिलेखन के लिए और उन प्रयोजनों के लिए प्रमापियों और अन्य संसक्त सकर्मों के संस्थापन और अनुरक्षण के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(ii) राज्य बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसकी राय में उस क्षेत्र में किसी ऐसी सरिता या कुएँ से ऐसे परिमाण में जो उस सरिता या कुएँ के प्रवाह आयतन के सम्बन्ध में सारवान है जल निकाल रहा हो या किसी सरिता या कुएँ में मल या व्यावसायिक बहिस्राव निस्सारित कर रहा हो, यह अपेक्षा करते हुए निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे निकालने या निस्सरण के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में दे जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

Scanned with CamScanner

(iii) उपधारा-2 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड, जल के प्रदूषण के निवारण या नियंत्रण की दृष्टि से किसी ऐसे स्थापन के प्रभारी किसी व्यक्ति से, जहाँ कोई उद्योग प्रक्रिया और नियत प्रणाली किया जाता है, यह अपेक्षा करते हुए निदेश दे सकेगा कि बोर्ड को ऐसे स्थापन या किसी व्यष्टि प्रक्रिया के या उसके विस्तार या परिवर्तन के, सन्निर्माण के बाद में उसे जानकारी और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ दे जो विहित की जाएँ।

बहिस्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया-

(i) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी की वह विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्र की किसी सरिता से जल के अथवा किसी ऐसे मल अथवा व्यावसायिक तत्वों के जो किसी संयंत्र या जलयान से किसी स्थान से या उसके आर पार से किसी ऐसी सरिता किया जा रहा हो।

(ii) उपधारा (1) के अधीन किसी मल या बहिस्रावों के लिए गए नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों का पालन कर दिया जाए।

उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव का नमूना उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए गया हो, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति —

(क) यंत्र या जलयान के प्रभारी या उस पर नियंत्रण रखने वाला।

(ख) आदेशदाता के अभिकर्ता की उपस्थिति में नमूने को दो भागों में विभाजित करेगा।

(ग) हर भाग के नमूना लेने वाला व्यक्ति या उसके अभिकर्ता हस्ताक्षरित भी करेगा।